न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 161/2019
GCMS NO. : 2019/00258

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. किशना पुत्र धन्ना जाति– बावरी, निवासी– बलून्दा तहसील– जैतारण जिला– पाली।		1.गीता पत्नी हड़मान 2.जवरीलाल पुत्र भंवरूराम 3.देवाराम पुत्र भंवरूराम 4.मुनाराम पुत्र भंवरूराम 5.गेन्दुड़ी पुत्री भंवरूराम जाति– बावरी निवासी– बलून्दा तहसील– जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 रेडविड ऑर्डर 39 नियम 1 व 2 तथा सेक्शन 151

तारीख रजू:–15.11.2019

उपस्थित:– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:–15/06/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, रेडविड ऑर्डर 39 नियम 1 व 2 तथा सैक्शन 151 सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि

सरहद मौजा बलुन्दा तहसील जैतारण में सायल एवं गैरसायल संख्या 1 से 5 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 221/2324 रकबा 14–08 बीघा किस्म सेवज दोयम व खसरा संख्या 2293 रकबा 25–15 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 40–03 बीघा आई हुई है। नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की पेश है। उक्त कृषि भूमि में सायल 1/2 हिस्सा तथा गैरसायल संख्या 1 से 2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है इसी हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती खातेदारी में दर्ज है। जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है। सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि होने से सायल अपने हिस्से की कृषि भूमि पर खाद बीज हेतू बैंक से ऋण नही ले सकता है व किसान कार्ड बनवाने में भी कठिनाई होती है व सायल अपने हिस्से में अलग से कुआं खुदवाकर उस पर विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन लेने में भी परेशानी होती है। सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि बाबत् बंटवाड़ा हेतू दिनांक 14.07.2019 को कहा तो स्पष्ट इनकार हुए इताना ही नही सायल के खसरा संख्या 221/2324 रकबा 14–08 बीघा किस्म सेवज दोयम व खसरा संख्या 2293 रकबा 25–15 [illegible] दोयम कुल रकबा 40–03 बीघा के 1/2 हिस्से में गैरसायलान [illegible] दस्तन्दाजी करते है व खेत की मांठ को खुर्द बुद्र करते है व [illegible] हिस्से की कृषि भूमि में से मांठ को खुर्द बुर्द कर अपने हिस्से में मिलाते है तब सा[illegible] ने एक बंटवाड़ा [illegible]द विरूद्ध गैरसायलान् के श्रीमान सक्षम दिनांक 16.07.2019 को पेश किया लम्बित है। आगामी पेशी 20.12.2012 की है। सायल प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

हिस्से का खातेदार काश्तकार है। मौके पर कब्जा काश्त है। परन्तु गैरसायलान दिनांक 26.10.2019 को जब अपने खेत पर गया तो आगे गैरसायलान बिना किसी हक व अधिकार के सायल के हिस्से की भूमि में जीरा की बुवाई कर रहे थे। मना करने पर गैरसायलान ने गाली गलौच किया व लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हुए व लाठी के बल पर सायल के हक हिस्से की भूमि पर यदि फसल की बुवाई करते है तो सायल को असीम हानि होगी जिसका किसी सूरत में मुल्यांकन नही होगा जबकि सामालाती खातेदारी की भूमि होने से सायल ने अपने हक हिस्से बाबत् बंटवाड़ा का वाद भी पेश कर रखा है। जो एकमात्र उपचार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से वकील चावण्डदान बारहठ ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा बलून्दा तहसील जैतारण में सायल एवं गैरसायल संख्या 1 से 5 की शामलाति कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 221/2324 रकबा 14-08 बीघा भूमि आई हुई होने के कथन पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है जिसे गैर सायल नामंजूर करते है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 221/2324 रकबा 14-08 बीघा में सायल किशना का कोई हक हकुको कब्जा काश्त नही है बल्कि एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार गैरसायल है। तथा खसरा संख्या 2293 रकबा 25-15 बीघा भूमि में सायल का 1/2 वा हिस्सा एवं गैरसायल संख्या 01 से 05 का 1/2 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त कथनो के अलावा पूरा फिकरा गलत व बेबुनियाद है जिसे गैर सायल नामंजूर करते है। संशोधित प्रार्थना पत्र संख्या 2 में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है जिसे गैर सायल नामंजूर करते है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2293 रकबा 25-15 बीघा भूमि में सायल एवं गैरसायल संख्या 1 से 5 हिस्सानुसार मोके पर काबिज है व काश्त करते आ रहे है। जबकि खसरा संख्या 221/2324 रकबा 14-08 बीघा भूमि के एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार गैरसायल है उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 21/2324 में सायल किशना का कोई कब्जा काश्त नही है व आरम्भ से ही वादग्रस्त भूमि से सायल आउट ऑफ पजेशन है। जबकि पिछले 40 वर्षो से अधिक समय से वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 221/2324 भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के गैरसायल काबिज है तथा इसी खसरे की भूमि में गैरसायल के रहवासीय मकान बने हुए है, विद्युत कनेक्शन लिए हुए एवं शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के एज ऑफ राईट गैर सायल उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त खसरा संख्या 221/2324 रकबा 14-08 बीघा भूमि पर गैरसायल संख्या 1 से 5 का प्रतिकूल आधिपत्य (एडवर्स पजेशन) होने के आधार पर कानूनी तौर से खातेदारी अधि[illegible] है। सायल का खसरा संख्या 221/2324 में कोई शामलाति कब्जा काश्त [illegible] था इस भूमि के एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार गैरसायल [illegible] अपने हिस्से की भूमि पर खाद बीज हेतु बैंक से ऋण लेने हेतु एवं किसा[illegible] कार्ड बनाने में पेरशानी होने एवं सायल अपने हिस्से में अलग से कुआ खुदवाकर उप पर विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन लेने में परेशानी होने के कथन दावा करने की गरज से झूठे आयत किए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सायल ने वाद में वर्णित भूमि के बंटवाड़ा बाबत् दिनांक 14.07.2019 को कहने पर गैर सायल स्पष्ट इंकार होने के कथन मिथ्या एवं असत्य और काल्पनिक है जिसे गैर सायल नामंजूर करते है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2293 रकबा 25-15 बीघा भूमि सायल किशना का 1/2 हिस्सा व गैरसायल संख्या 1 से 5 का 1/2 हिस्सा होने के कथन सही है तथा इसी हिस्सानुसार खसरा संख्या 2293 की भूमि मौके पर बंटी हुई है। जबकि खसरा संख्या 221/2324 की भूमि पर पिछले 40 वर्षो से गैरसायल बतौर खातेदार काश्त के काबिज है, काश्त करते आ रहे है उक्त भूमि से सायल किशना का कोई हक हकूक कब्जा काश्त नही है यानि खसरा संख्या 221/2324 भूमि से आउट ऑफ पजेशन होने से बंटवाड़ा करवाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। ना ही सायल किशना का वादग्रस्त आराजी में स्थाई कब्जा है इसलिए कब्जे के बिना सायल किशना गैर सायल के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है, सायल का प्रार्थना पत्र काबिज खारिज के हैं। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियो एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर गैरसायल के पक्ष में प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन साबित है सायल को वादग्रस्त जमीन के बाबत् कोई प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण के खसरा संख्या 221/2324 रकबा 14-08 बीघा किस्म सेवज दोयम व खसरा संख्या 2293 रकबा 25-15 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 40-03 बीघा जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, के कानूनन बंटवाड़ा बाबत् वादपत्र के साथ हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। तथा इसी अनुरूप कब्जा काश्त तथा उपयोग उपभोग है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नही होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी के उपयोग उपभोग में अनावश्यक दखलन्दाजी करते है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द करना आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए यह स्वीकार किया कि उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है। खसरा संख्या 221/2324 पर पिछले 40 वर्षो से केवल अप्रार्थीगण काबिज है जिन पर अप्रार्थीगण के रहवासी मकान बने हूए है। अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

पत्रावली पर उपलब्ध भू अभिलेख जमाबन्दी ग्राम बलून्दा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रमशः 1/2 व 1/2 हिस्से के अभिलिखित खातेदार है। अतः सहखातेदारी भूमि में अपने हक हिस्से तक प्रत्येक सहखातेदार का हक एवं कब्जा माना जाता है लिहाजा यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:35 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

(02) सुविधा का संतुलन व (03) अपूर्णनीय क्षति :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखुबी साबित हुआ है साथ ही प्राथी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है तथा प्रत्येक सहखातेदार के हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन ऐसे सहखातेदार के पक्ष में निहित रहता है साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए है, चूंकि अविभाजित आराजी का कानूनन बंटवाड़े के बिना यदि किसी भी सहखातेदार द्वारा किसी विशिष्ट भू भाग पर कोई नवीन निर्माण आदि कर देने से प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है जिससे प्रतिपक्षी को अपूर्णीय क्षति होना संभव है। लिहाजा उपर्युक्त दोनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जिसके कानूनन बंटवाड़ा बाबत् वादपत्र जैरकार है अतः कानूनी रूप से सहखातेदारान के मध्य बंटवाड़ा होने तक उभयपक्षकारान् को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का नवीन कच्चा पक्का निर्माण आदि नही करने तथा एक दूसरे के हक हिस्से तक काश्त आदि करने में किसी प्रकार का दखल नही करने बाबत् पाबंद किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित समझते है।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान् को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण के खसरा संख्या 221/2324 रकबा 14–08 बीघा किस्म सेवज दोयम व खसरा संख्या 2293 रकबा 25–15 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 40–03 बीघा में किसी प्रकार का नवीन कच्चा पक्का निर्माण आदि नही करने तथा एक दूसरे के हक हिस्से तक काश्त आदि करने में किसी प्रकार का दखल नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 15/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:35 IST
Reason: SelfAttested